कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: परिपत्र ::

क्रमांकः 07/वार-5-1/14 **दिनांकः17 .01.2021**

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर दिनांक 15.01.2021 के अनुसार समस्त प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु कुटुम्ब न्यायालयों सहित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 18.01.2021 से भौतिक सुनवाई(कार्यवाही) प्रारंभ करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। **अतः उक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के आलोक में इस स्थापना पर तदनुसार कार्य हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः-**

1- प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उनके न्यायालय में लंबित समस्त प्रकृति के प्रकरणों को स्वविवेक से संख्या का निर्धारण करते हुये इस प्रकार नियत करेंगे कि न्यायालय कक्ष के भीतर भीड-भाड एकत्रित न हो।

2- समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की कॉज लिस्ट -संबंधित प्रकरण में सुनवाई हेतु समय का निर्धारण संबंधित अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित कर तैयार कराते हुये नियत तिथि के एक दिवस पूर्व न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें। कॉज लिस्ट में भोजन अवकाश के पूर्व नियत प्रकरण तथा भोजन अवकाश के पश्चात् नियत प्रकरणों को पृथक-प्रथक रूप से उल्लेखित किया जावे।

3- न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों की आदेश पत्रिका में न्यायालय द्वारा पक्षकारों, गवाहों या अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज की जावेगी, जबकि आगामी आदेश जारी होने तक आदेश पत्रिकाओं में पक्षकारों,गवाहों के कथनों(विधि अनुसार अनिवार्यता को छोड़कर) के अंतर्गत साक्षीगणों अथवा अधिवक्तागणों के हस्ताक्षर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये नहीं लिये जावेंगे।

4- न्यायालय द्वारा जिन मामलों में विशेष रूप से अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है,उनके अतिरिक्त अभियुक्त की उपस्थित जरिये वीडियो कांफ्रेंसिग मान्य की जावे। प्रथम रिमाण्ड के समय ही अभियुक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित रखा जावे,अभियुक्त की उत्तरवर्ती रिमाण्ड कार्यवाही जरिये वीडियो कांफ्रेंसिग उपस्थिति मान्य करते हुये की जावे।

5- प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग-दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर -न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रवेश के सभी दरवाजे आवश्यक थर्मल स्केनर से सुसज्जित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

6- केवल ऐसे पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जावेगी, जहाँ मामलों को अधिसूचित और सूचीबद्ध किया गया हो। प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार कर्मचारी को पदस्थ करेंगे, जो कि प्रवेश द्वार में उन्हीं अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा जिनके उस दिनांक में प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय के समक्ष होनी है।

7- जिन न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों,अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को क्वारेंटाईन/आइसोलेट रहने को कहा गया है, वे न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रतिबंधित रहेंगे।

8- न्यायालय परिसर के अंदर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी उपरोक्त कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो वह केन्द्र/राज्य सरकार के कानून/दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियोजन/सजा के लिये उत्तरदायी होगा।

9- न्यायालय परिसर में आने वाले न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं कर्मचारी फेस मास्क पहनेंगे या फेस को कव्हर रखेंगे। संबंधित प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर एवं बार एशोसिएशन के अध्यक्ष दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी फेस मास्क के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश या उपस्थित नहीं होगा।

10- बुखार और फ्लू या इन जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि किसी स्टॉफ सदस्य को बुखार/फ्लू के लक्षण पाये जावे तो तुरंत संबंधित पीठासीन अधिकारी को सूचित करेंगे तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी, कार्यालय को तत्काल सूचना देंगे।

11- यदि किसी अधिवक्ता को बुखार या फ्लू के लक्षण हैं तो संबंधित बार एशोसिएशन एवं प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर को तुरंत सूचित किया जावेगा।

//निरंतर-2//

12- भीड़ को रोकने के लिये न्यायालय परिसर के अंदर स्थित कैन्टीन, फोटोकॉपी की दुकाने बंद रहेंगी।

13- अधिवक्ता कक्ष,अधिवक्तागण के चैम्बर, अधिवक्तागण का पुस्तकालय कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र व राज्य शासन द्वारा निर्धारित समस्त उपायों के साथ संचालित रहेंगे तथा अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर सुरक्षात्मक उपायों पर निगरानी रखेंगे तथा समय समय पर परिसर की स्वच्छता कराया जाना सुनिश्चित करते हुये भीड़ को रोकने के लिये बार रूम में सीमित प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

14- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर द्वारा पूरे परिसर की उचित स्वच्छता सुनिश्चित की जावेगी। मुख्य द्वार, शौचालय और न्यायालय कक्ष के बाहर स्थित बरामदे/गैलरी आदि में हैण्डवॉश और सेनेटाईजर प्रदान किये जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति, न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धुले या हाथ सेनेटाईज करे बिना प्रवेश न करें।

15- न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति उन अधिवक्ताओं/पक्षकारों को दी जायेगी, जिनके मामले को सुनवाई के लिये पुकार लगायी गई है। शेष अधिवक्ता न्यायालय कक्ष के बाहर निर्धारित जगह में अपनी बारी का इंतजार करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी के मापदण्डों को बनाये रखा जा सके।

16- सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार, कर्मचारी और अन्य हितग्राही न्यायालय परिसर या न्यायालय कक्ष में सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे तथा न्यायालय कक्ष के भीतर स्थान की उपलब्धता के आधार पर एक साथ दस से अधिक व्यक्तियों(अधिवक्ता/साक्षी/पक्षकार/अभियुक्त) को प्रवेश की अनुमति न दी जावे। उचित रूप से सेनेटाईजेशन की व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई के उपरांत दो मिनिट का अंतराल रखा जावे।

17- प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर न्यायालय के बरामदे/बैठने के स्थानों पर इस प्रकार से कुर्सी/ बैंचों को लगवाये जाने हेतु संबंधित अधीनस्थ कर्मचारीगणों को निर्देशित करेंगे जिससे कि व्यक्तियों के मध्य सामाजिक दूरी बनी रहे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण न्यायालय कक्ष के भीतर भी इस तरह से बैठक व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे जिससे कि सामाजिक दूरी के नियमों का समुचित पालन संभव हो सके।

18- न्यायालय कक्ष के बाहर बरामदे/ गैलरी/आवाजाही के सामान्य स्थान पर बिना किसी कारण के कोई भी व्यक्ति खडे न रहें तथा भीडभाड न की जावे।

19- न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णयों तथा प्रकरणों में आगामी नियत की गई तिथि को यथासंभव संबंधित दिनांक को ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

20- भौतिक संपर्क से बचाव के लिये ऐसे आवेदन/याचिकाएं प्राप्त करने हेतु ड्राप बॉक्स का उपयोग किया जायेगा जिसके लिये फाईलिंग काउण्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे आवेदन/याचिकाओं पर पक्षकार/अधिवक्तागण के मोबाईल क्रमांक/ई मेल आई0डी0 का होना अनिवार्य होगा।

21- अधिवक्तागण अपने प्रकरण से संबंधी नस्ती अपने साथ लेकर आवेंगे और मामले की सुनवाई हो जाने पर संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार तुरंत न्यायालय कक्ष के बाहर चले जायेंगे।

22- शासकीय दिशा निर्देशों के अंतर्गत 65 वर्ष व उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही से प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान अधिवक्ता/विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है,वह न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित रहने के दौरान आवश्यक सावधानी बरतेंगे एवं अनावश्यक उपस्थिति से बचेंगें।

23- कार्यालय आदेश क्रमांक-71 दिनांक 18.11.2020 की वैधानिकता पूर्ववत् रहेगी एवं उसके माध्यम से जिला मुख्यालय दतिया एवं तहसील मुख्यालयों-सेंवढ़ा व भाण्डेर पर पूर्व से गठित-''न्यायालय परिसर के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निगरानी समिति'' समिति उक्त निर्देशों का सम्यक् पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दैनिक आधार पर निगरानी रखेगी तथा समय-समय पर अपना प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध करावेंगें।

24- न्यायालय परिसर के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जावेगी।

//निरंतर-3//

25- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये समय-समय पर जारी किये गये सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के उक्त परिपत्र के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व परिपत्र कमांक-ए/2549 दिनांक 19.11.2020 के अनुरूप इस स्थापना पर पूर्व में प्रसारित आदेश कमांक 72 दिनांक 18.11.2020 तथा परिपत्र कमांक ए/3120 जबलपुर दिनांक 11.12.2020 के आलोक में न्यायालयों के अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई हेतु इस स्थापना पर पूर्व में प्रसारित परिपत्र कमांक 85 दिनांक 12.12.2020 एवं तत्संबंधी समस्त आदेशों को अतिष्ठित किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 18.01.2021 से प्रभावशील होगा।

संलग्न- मान0उच्च न्या0 के परिपत्र क0-ए/113 दि.15.01.2021 की छायाप्रति।

सही/-

(श्रीमती सुनीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन कं./81 /चार-5-1/14 — दिनांकः17.01.2021

नोटः- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग दतिया के ज्ञापन कमांक 272/ई.कोर्ट दतिया दिनांक 24.01.2020 के परिपालन में ज्ञापन की हार्ड कॉपी प्रेषित किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है,न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी यदि चाहें, तो उक्त पत्र जिला न्यायालय दतिया की वेबसाइड से डाउनलोड कर सकते हैं।अतएव प्रभारी अधिकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग दतिया उक्त समस्त संबंधित न्यायिक अधिकारियों के ई-मेल एड्रेस पर ई-मेल/दतिया जिला न्यायालय की बेबसाईड में तैयार की गई लिंक-कार्यालयीन पत्र पर अपलोड करने हेतु सिस्टम अधिकारी को निर्देशित कर ई मेल/अपलोड कराया जाकर मूल प्रति को ई-मेल रिपोर्ट/(Screen shot) सहित कार्यालय में लौटाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपिः

1. रजिस्ट्रार जनरल,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दतिया
3. पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर
4. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया
6. कलेक्टर, जिला दतिया
7. पुलिस अधीक्षक, जिला दतिया
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर
9. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, दतिया
10. लोक अभियोजक/सहा0 लोक अभियोजक, दतिया
11. जेल अधीक्षक,सर्किल जेल दतिया
12. सहायक अधीक्षक,उप जेल सेंवढ़ा जिला- दतिया
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दतिया
15. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय दतिया
16. जिला नाजिर, जिला न्यायालय दतिया
17. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sunita Yadav

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// SOP FOR SUBORDINATE COURTS //

No./ A/113/ Jabalpur dated 15/01/2021

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start regular physical functioning in the Subordinate Courts including Family Courts in respect of all category of cases w.e.f. 18.01.2021.

(1) All types of cases will be taken up by the Courts subject to the directions issued by the District & Sessions Judge.

(2) The District & Sessions Judge will have discretion to regulate the physical functioning in the Court including the nature and categories of cases, number of cases and timings of sitting of Judges depending upon the prevailing circumstances and effect of Covid-19 in the concerned district.

(3) Depending upon the seriousness of Covid-19 effect, the District & Sessions Judge will have an option to switch to limited virtual hearing through video conferencing/mixed functioning through physical mode and video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.

(4) The District & Sessions Judges will take immediate steps for installing the plastic curtain between the Judges/Reader, Staff AND Advocates/ litigants in each functional court room.

(5) The District & Sessions Judge will ensure the publication of daily cause list showing the matter listed before different courts and the court concerned will take up the cases as per serial order in the daily cause list. The cause list will also disclose the cases to be taken up in pre-lunch session and post-lunch session.

(6) The courts shall usually function as per timings of the courts specified in Rules and Orders, except at places where lockdown/shutdown is imposed or containment zone declared by the competent authority.

(7) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files, and their signatures would not be taken on order sheet, statements (Except where law requires) to prevent the spread of Corona virus, till further orders.

(8) Production of the accused before the court may be, unless specifically directed otherwise for any reason, accepted by video conferencing. However, the accused shall be required to be produced before the Magistrate for remand in the first instance. But, subsequent remand may be granted by video conferencing.

(9) All the Judicial Officers are hereby impressed upon for the use of service of summons through the message by using the facility in the Software CIS NC 3.2 in addition to normal mode of service, which has been provided for in order to facilitate service of summons.

(10) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.

(11) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.

(12) Persons consuming liquor, pan, gutkha or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.

(13) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover, covering nose and mouth (including at the time of argument and tendering evidence). Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without wearing proper face mask.

(14) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.

(15) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.

(16) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association with intimation to the District Judge.

(17) Working of the Subordinate Courts / Family Courts in the State shall remain suspended in areas where curfew / lockdown / containment area has been declared by the competent authority. However, the court shall take up urgent matters and the intimation of the situation be communicated to the High Court.

(18) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the restricted entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.

(19) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding.

(20) Bar Rooms, Advocates' Chamber, Bar Library shall remain open subject to adherence of all the safety norms. The Bar President shall

observe safety norms and ensure sanitization as well as limited entry through the Bar Room(s) to prevent crowding.

(21) Proper sanitization of entire premises i.e. Court Rooms, chamber of Presiding Officer, offices, toilets and place of common use must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.

(22) The District Judges should ensure installation of adequate numbers of wash basins in addition to arrangement of sanitizer so that the visitors/lawyers/staffs can properly sanitize their hands before entering the Court premises/complexes.

(23) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.

(24) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders. In no case at a time more than 10 persons (advocate / witness / party / accused) (subject to availability of space) will be allowed in a Court Room. Entry of number of persons in the Court Room will be as per the instructions issued by the concerning District Judge, keeping in view the space available in the Court Room. Cases shall be heard consecutively i.e.

one by one and a break of 2 minutes shall be given for proper sanitization before starting hearing of new case.

(25) The Chairs/Benches in the Court Hall should be suitably arranged keeping in mind the social distancing norms. The sitting arrangement of staff in the Court and Offices shall also be made compliant to social distancing norms.

(26) At no circumstances the Court Hall or Court Varanda / common passages / corridors or Court premises shall be crowded. Congregation in any form is to be prevented.

(27) The display boards shall be functional and the cause list be displayed for convenience and information to all stakeholders.

(28) Orders/Judgments passed by the Court and next date of cases shall be uploaded on the website of the concerning District at the earliest.

(29) In order to avoid physical contact, the drop box system to receive applications / petitions etc. in the Court for which filing counter is not provided, be adopted by respective Courts, in such matters the party concern / his advocate shall mention his e-mail ID and mobile number on applications / petitions etc.

(30) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.

(31) As Government advisory has required restricted movements for persons aged 65 years and above, learned Advocates / Senior Advocates aged 65 years and above are requested to exercise due caution / avoid physical appearance in the Courts.

(32) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and Deputy Administrative Officer, wherever available / one senior court staff, shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions. The Committee shall report the District Judge.

(33) No function or any other event shall be permitted inside the Court premises.

(34) District & Sessions Judges are authorized to make any suitable changes according to the prevailing situation of any court in his jurisdiction for smooth functioning of courts and also for management for preventing the spread of Corona Virus in the matter of entry and sitting of the advocates, litigants etc. in court premises, under intimation to the High Court.

(35) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.

(36) If any advocate(s) or litigant(s) is found violating the above guidelines, the District Judge / Principal Judge shall bring it to the

notice of the Bar Council of Madhya Pradesh and respective Bar Association(s) under intimation to the High Court and may take such action as he/she deems fit and proper.

(37) From the date of implementation of this Circular, the Units criteria shall be relaxed to 50% of the prescribed Units till further order / modification.

(38) The Units criteria relaxed as per Circular no. A/2874, dated 03.12.2020 shall remain extended upto implementation of this Circular.

15.1.21

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL